भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 64

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

एटा और कासगंज में रोज़गार की स्थिति

64. **श्री देवेश शाक्य:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में एटा और कासगंज जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की कमी के कारण, युवाओं का दिल्ली और नोएडा की ओर पलायन बढ़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में जवाहर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और रेलवे निर्माण कार्यों में 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं का अनिवार्य रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति या नियम तैयार करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास एटा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पताल या कोई विशेष चिकित्सा सुविधा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम (eshram.gov.in) पोर्टल की शुरुआत की थी। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों का पंजीकरण करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान करता है।

दिनांक 14 जुलाई 2026 तक, ई-श्रम पोर्टल पर 31.78 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है।

एटा और कासगंज जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कृषि कामगारों और निर्माण कामगारों का विवरण संलग्न है।

रोजगार क्षमता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र सहित देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं लागू कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **https://dge.gov.in/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

'रोजगार', समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय होने के कारण, भारत में रोजगार सेवा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रुप से सोचे जाने वाला विषय है। रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय रोजगार सेवा के समन्वय के लिए नीतियां, मानक और प्रक्रियाएं निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। रोजगार कार्यालय, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सीधे प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करता है क्योंकि पूर्ववर्ती कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 58 (अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 40 के अधीन शामिल) के प्रावधान के अनुसार अस्पताल का संचालन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में एटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी) अस्पताल या एक विशेष चिकित्सा सुविधा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

*

संलग्नक

"एटा और कासगंज में रोजगार की स्थिति" के संबंध में श्री देवेश शाक्य द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

दिनांक 14.07.2026 की स्थिति के अनुसार एटा और कासगंज जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कृषि कामगारों और निर्माण कामगारों का विवरण:

जिला	कृषि कामगार	निर्माण कामगार
एटा	4,44,729	24,600
कासगंज	3,49,045	31,472
